:: प्रेस नोट ::

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद पिथौरागढ की चारों विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों यथा 42–धारचूला, 43–डीडीहाट, 44–पिथौरागढ एवं 45–गंगोलीहाट (अ.जा.) की दिनांक 01 जुलाई, 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के अन्तर्गत मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन आयोग के नियत कार्यक्रम अनुसार दिनांक 03 अक्टूबर, 2026 (शनिवार) को जनपद के प्रत्येक मतदेय स्थलों एवं निर्वाचक/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (उप जिलाधिकारी/तहसीलदार) कार्यालयों में किया जा रहा है।

तद्नुसार जनसाधारण/मतदाताओं के अवलोकनार्थ फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली जनपद के समस्त 651 मतदेय स्थलों, निर्वाचक/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (उप जिलाधिकारी/तहसीलदार) कार्यालयों एवं जिला निर्वाचन कार्यालय, पिथौरागढ में उपलब्ध रहेगी।

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के पश्चात तैयार निर्वाचक नामावली में अपने व अपने परिवार सदस्यों के नामों की पुष्टि कर लें यदि अभी भी आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने से छूट गया हो तो वे नाम सम्मिलित करने के लिए प्रारूप–6, नाम अपमार्जन के लिए प्रारूप–7 एवं नाम में संशोधन, एक मतदेय स्थल से दूसरे मतदेय स्थल या विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में परिवर्तन किये जाने हेतु प्रारूप–8 में आवेदन कर सकते हैं। उक्त फार्म संबंधित निर्वाचक/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (उप जिलाधिकारी /तहसीलदार)/जिला निर्वाचन कार्यालय में या बीएलओ से समन्वय स्थापित कर प्राप्त किये जा सकते हैं।

(आशीष भटगांई)
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी,
पिथौरागढ।

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, पिथौरागढ।

पत्रांकः 768 /29–प्रेस नोट (2026–2027) दिनांक 02 अक्टूबर, 2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सादर सूचनार्थ एवं प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष/सचिव समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, जनपद पिथौरागढ।
2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3. आयुक्त, कुमायूं मण्डल/रॉल आर्ब्जबर नैनीताल।
4. अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी, पिथौरागढ।
5. समस्त निर्वाचक/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जनपद–पिथौरागढ।
6. बीएलओ सुपरवाईजर/बीएलओ, जनपद–पिथौरागढ।
7. नगर आयुक्त/समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जिला–पिथौरागढ।
8. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद–पिथौरागढ।
9. जिला सूचना अधिकारी, पिथौरागढ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त प्रेस–नोट को न्यूनतम शासकीय दरों पर जनपद के लोकप्रिय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाना सुनिश्चित करें।
10. जिला निर्वाचन कार्यालय, पिथौरागढ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

(आशीष भटगांई)
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी,
पिथौरागढ।

Doc. Revision 2024-25

CamScanner